

‘मुख्यमंत्री राजश्री योजना’

दिशा-निर्देश

1. योजना का परिचय :-माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा (124) के अनुसार राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत 01 जून 2016 या उस के बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं लाभ की पात्र होंगी।

2. योजना के उद्देश्य:-

- (i) राज्य में ‘बालिका जन्म’ के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करते हुए बालिका का समग्र विकास करना।
- (ii) बालिकाओं के लालन-पालन, शिक्षण व स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग-भेद को रोकना एवं बालिकाओं का बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना।
- (iii) संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ-मृत्यु दर में कमी लाना।
- (iv) बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना एवं घटते बाल लिंगानुपात को सुधारना।
- (v) बालिका का विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना।
- (vi) बालिका को समाज में समानता का अधिकार दिलाना।

3. योजना के अन्तर्गत देय लाभ:-योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता पिता/अभिभावक को कुल राशि रुपये 50 हजार अधिकतम का भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा:-

- (i) राज्य के राजकीय तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेने वाली बालिका की माता को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर 2500 रु. की राशि देय होगी। यह राशि जननी सुरक्षा योजना (JSY)के तहत देय राशि के अतिरिक्त होगी।
- (ii) बालिका की उम्र 1 वर्ष पूर्ण होने पर बालिका के नाम से 2500 रु. की राशि देय होगी।
- (iii) बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 4000 रु. की राशि देय होगी।
- (iv) बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 5000 रु. की राशि देय होगी।

- (v) बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 110000 रु. की राशि देय होगी।
- (vi) बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर रु. 25000 की राशि देय होगी।

4. पात्रता:-

- (i) ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून 2016 अथवा उसके पश्चात होगा।
- (ii) ऐसी बालिकाएं जिनके माता या पिता आधार कार्ड अथवा भामाशाह कार्डधारी हो। यदि हितग्राही के पास प्रथम किशत का लाभ लेते समय आधार अथवा भामाशाह कार्ड नहीं है, तो भी प्रथम किशत का लाभ संस्थागत प्रसव के आधार पर प्रदान किया जायेगा किंतु दूसरी किशत का लाभ लेने से पूर्व आधार अथवा भामाशाह कार्ड की प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
- (iii) योजना का लाभ राजस्थान की मूल निवासी प्रसूताओं के लिये ही देय है। ऐसी प्रसूताएं जिनका संस्थागत प्रसव राज्य के बाहर हुआ है एवं जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ प्राप्त किया है, को बालिका के जीवित जन्म का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ मूल निवास क्षेत्राधिकार वाले राजकीय चिकित्सा संस्थान से देय होगा। राजस्थान राज्य के बाहर की प्रसूता को मुख्यमंत्री राजश्री योजना के परिलाभ देय नहीं होंगे।
- (iv) प्रथम एवं द्वितीय किशत का लाभ सभी संस्थागत प्रसव से जन्म लेने वाली बालिकाओं को देय होगा। यह लाभ दिनांक 31.05.2016 की मध्य रात्रि के पश्चात जन्म लेने वाली सभी बालिकाओं को देय होगा। तीसरी एवं पश्चातवर्ती किशतों का लाभ एक परिवार में अधिकतम दो जीवित संतान तक ही सीमित होगा अर्थात् प्रथम दो किशतों के अतिरिक्त अन्य किशतों का लाभ उन्ही बालिकाओं को देय होगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी। इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माता-पिता को स्व घोषणा प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- (v) यदि माता-पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे एक या दो किशतों का लाभ दिया जा चुका हो तो ऐसे माता-पिता की कुल जीवित संतानों में से मृत बालिका की संख्या कम हो जायेगी तथा ऐसे माता-पिता के यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह लाभ की पात्र होंगी। तीसरी एवं पश्चातवर्ती किशतों का लाभ अधिकतम दो जीवित संतान तक ही सीमित होगा।
- (vi) प्रथम किशत हेतु राज्य के राजकीय एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेना आवश्यक होगा।



- (vii) द्वितीय किशत का लाभ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड/ममता कार्ड के अनुसार सभी टीके लगवाने के आधार पर देय होगा।
- (viii) प्रथम किशत से लाभान्वितों को समेकित बाल विकास सेवाओं के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्र से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।
- (ix) मुख्यमंत्री राजश्री योजना का द्वितीय (बालिका की उम्र एक वर्ष पूर्ण होने पर एवं आवश्यक टीकाकरण पश्चात्) एवं तृतीय (बालिका के राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर) परिलाभ तभी देय होगा जबकि उसने प्रथम परिलाभ प्राप्त किया हो।
- (x) ऐसी बालिकाएं लाभ की पात्र होंगी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में प्रत्येक चरण में (कक्षा 1, 6, 10 तथा 12) शिक्षारत है/रही हैं।
- (xi) योजना की अगली किशत पूर्व में सभी किशत/किशतें प्राप्त करने की स्थिति में ही देय होंगी।

5. प्रक्रिया:-

- (i) मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत बालिका के जन्म पर संस्थागत प्रसव होने की सुनिश्चितता करने तथा बालिका की आयु एक वर्ष पूर्ण होने एवं टीकाकरण की सुनिश्चितता ऑनलाईन करने के उपरांत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा देय राशि बालिका की माता या माता ना होने पर पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में ऑनलाईन ट्रांसफर की जायेगी। इसके लिये प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक आई.डी. न. दिया जायेगा। प्रथम व द्वितीय किशत प्राप्त करने के लिये पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
- (ii) द्वितीय किशत का लाभ लेने हेतु टीकाकरण के प्रमाण के रूप में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड/ममता कार्ड अपलोड करने पर देय होगा।
- (iii) प्रथम एवं द्वितीय किशत का लाभ बालिका को वर्तमान में संचालित शुभ लक्ष्मी योजना के अनुसार ही चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जायेगा।
- (iv) तीसरी किशत अर्थात् बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने के उपरांत देय राशि प्राप्त करने हेतु बालिका की माता, माता ना होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन ई-मित्र/अटल सेवा केंद्र/अन्य उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से करना होगा। आवेदन के साथ मातृ-शिशु सुरक्षा कार्ड (एमसीपी कार्ड) की प्रति, विद्यालय में प्रवेश का प्रमाण, दो संतानों संबंधी स्वघोषणा की प्रति भी अपलोड करनी होगी।

ऑनलाईन प्राप्त पात्र प्रकरणों की ऑनलाईन स्वीकृति कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा जारी की जायेगी तथा लाभार्थी के खाते में राशि का ऑनलाईन हस्तांतरण किया जायेगा।

- (v) योजना के अन्तर्गत चौथी, पाचवी तथा छठी किशत अर्थात् कक्षा 6 व 10 में प्रवेश के उपरान्त एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर बालिका की माता, माता ना होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन ई-मित्र/अटल सेवा केन्द्र/अन्य उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से करना होगा। आवेदन के साथ विद्यालय में प्रवेश के प्रमाण की प्रति भी अपलोड करनी होगी। कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पश्चात अंकतालिका की प्रति भी आवेदन के साथ अपलोड करनी होगी।
- (vi) योजना का प्रशासनिक विभाग महिला एवं बाल विकास होगा।
- (vii) योजना की समीक्षा संबंधित जिला कलक्टर के द्वारा प्रत्येक माह में एक बार की जायेगी।
- (viii) योजना के सफल संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के आधार पर योजना का संचालन किया जायेगा एवं समय समय पर समुचित संशोधन व दिशा निर्देश जारी किये जा सकेंगे।



ममता भूपेश बैरवा
राज्य मंत्री (स्वातंत्र प्रभार)
महिला एवं बाल विकास, राजस्थान

मुख्यमंत्री राजश्री योजना से आपकी बेटी
को कुल रु. 50,000 की सहायता मिलेगी।

जन्म के समय	रु. 2500
1 वर्ष के टीकाकरण पर	रु. 2500
पहली कक्षा में प्रवेश पर	रु. 4000
कक्षा 6 में प्रवेश पर	रु. 5000
कक्षा 10 में प्रवेश पर	रु. 11000
कक्षा 12 पास करने पर	रु. 25000



प्रिय बहन....

बिटिया के जन्म पर आपके पूरे परिवार को बधाई और बिटिया को ढेर सारा प्यार। आशा है कि वह स्वस्थ होगी।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना में सरकार द्वारा आपके खाते में रु. 2500 की राशि जमा करवाई गई है। यह पैसा बिटिया की अच्छी देखभाल के लिए है।

आपकी बिटिया को मुख्यमंत्री राजश्री योजना में विभिन्न चरणों में कुल राशि रु. 50,000 की सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी। योजना के तहत देय लाभ का विस्तृत विवरण पीछे है।

मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करें, उसकी सेहत का ध्यान रखें। बालिका के समस्त टीकाकरण भी सुनिश्चित करावें। उसे खूब पढ़ावें और अपने सपने पूरे करने दें ताकि वह आगे चलकर आपका सहारा बने और पूरे प्रदेश का नाम रोशन करें।

शुभकामनाओं सहित

अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान

